

21/3/2024

मिसल पेश। उमभपक्ष अधिकार (पत्र)  
वादी अधिकार को का. मु. का जा. पत्र पेश  
करने हेतु कड़ी अवसर दिये जा चुके  
हैं अवसर दिये जाने के उपरान्त भी  
का. मु. का जा. पत्र पेश की स्थिति उत्पन्न  
नहीं हुई। अतः तदधिकार में खारिज की  
जाती है।  
~~पत्रावली के लिये मुद्रा लेकर हस्ताक्षर  
से कम है।~~

सहायक कलेक्टर:  
(उपखण्ड अधिकारी)  
समाप्त जिला भीलवाड़ा (राज.)

